10-4-18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत।

बहस बगौर समहात की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।पत्रावली का निर्णय गुणावगुण पर न कर अपीलान्ट के मुख्य बिन्दू कि अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर न देकर आदेश नियत तारीख पेशी से पूर्व दिया गया है। इस बिन्दू के सन्दर्भ में ही निर्णय दिया जाना उचित मानते हैं । प्रकरण में अदालत मातहत की आदेशिका के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रकरण बहस में नियत न होकर जबाब दावा में नियत है तथा प्रकरण में नियत पेशी 10-2-2009 है जबकि अदालत मातहत ने प्रकरण में बिना जबाब दावा लिये बिना विधिक प्रक्रिया पूर्ण किये नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनाक 23-01-2009 को निर्णय पारित कर दिया। अदालत मातहत के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। इस कारण हम अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण को अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है ।

अत: अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-01-2009 को खारिज किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुये अपना निर्णय

10/4/2018 – हस्ताक्षर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पुनः पारित करें पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 17-5-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । ([illegible] मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	